



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 जुलाई 2018—आषाढ़ 20, शक 1940

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2018

क्र. 20-1-स्था.-2018-विधि निर्वा.-136.—भारत निर्वाचन आयोग अधिसूचना क्रमांक 154-MP-2018-P.Admn, दिनांक 10 जुलाई 2018 द्वारा श्री व्ही.एल. कान्ताराव, आई.ए.एस. (1992) को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पदस्थ किया गया है। अधिसूचना सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001
नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई, 2018, 19 आषाढ़, 1940 (शक)

अधिसूचना

सं. 154-MP-2018-P.Admn.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 के 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्रीमती सलीना सिंह, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री वी. एल. कान्ताराव, आई.ए.एस.: (एम.पी.: 1992) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए मध्यप्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री वी. एल. कान्ताराव, मध्यप्रदेश सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे जो कि वह ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री वी. एल. कान्ताराव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश के रूप में कार्य करते हुए मध्यप्रदेश सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का प्रधान, सचिव पदाधिकारी किया जाएगा।

आदेश से,

हस्ता/—
(श्री. सी. पाता)
सचिव.

**SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001.

New Delhi, Dated 10th July, 2018, 19 Ashadha, 1940 (Saka)

NOTIFICATION

No. 154-MP-2018-P. Admn.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Madhya Pradesh hereby nominates Shri V. L. Kantha Rao, IAS (MP: 1992) as the Chief Electoral Officer for the State of Madhya Pradesh with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Smt. Saleena Singh, IAS.

2. Shri V. L. Kantha Rao shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Madhya Pradesh, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri V. L. Kantha Rao while functioning as the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Madhya Pradesh except that he should be designated Principal Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

By order,

Sd./-

(B. C. PATRA)
Secretary.